कुक्कुट इकाइयों को 10 वर्ष तक मिलेगी बिजली शुल्क में छूट

लखनऊ। कुक्कुट इकाइयों को 10 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट मिलेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 के तहत कॉमर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेंट फार्म की स्थापना के संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। नीति के अंतर्गत पक्षी क्षमता कॉमर्शियल लेयर फार्म की किसी भी क्षमता की इकाई के संबंध में लाभार्थी को अधिकतम 100 लाख का ब्याज उपादान अनुमन्य किया जाएगा।

पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक ने संशोधित शासनादेश में स्पष्ट किया है कि कुक्कुट विकास नीति-2022 के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन पोर्टल पर किए जाएंगे। कुक्कुट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष एक लाख यूनिट तक बिजली शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। क्रय की गई भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। प्रदेश में न्यूनतम 10000 पक्षी क्षमता की नई कामर्शियल इकाई या नई ब्रायरल पैरेन्ट फार्म की स्थापना करने पर उद्यमी इस नीति के लाभ पा सकेंगे। ब्यूरो